न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–32 / 2025

1. अनीता पत्नि कन्हैया लाल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. इब्राहिम मोहम्मद पुत्र बसीर खां जाति निलगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जाफर खां उर्फ जफरूला पुत्र श्री रमजान जाति निलगर साकिन चक देईदास पुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या –1

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः– 22.04.2026

अपीलांट अनीता पत्नि कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी नोहर द्वारा नामान्तरण सं. 1596 दिनांक 14.02.2023 रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षपे में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं. 1596 दिनांक 14.02.2023 रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो कि अपास्तनीय है।
2. रोही मौजा चक देईदास पुरा तह[illegible] नोहर के खाता सं. [illegible] की कुल तादादी 18.1090 हैक्टर बारानी भूमि में जाफर उर्फ जफ[illegible] पुत्र [illegible]जान जाति निलगर साकिन नोहर तहसील नोहर संयुक्त [illegible]कार था एवं रेस्पोडेन्ट स. 2 ने अपीलान्ट से समस्त प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 10.01.2019 को अपीलान्ट के पक्ष में बैयनामा निस्पादित करवा दिया एवं मौके पर वाद भूमि का कब्जा सम्भला दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या–32/2025 अनवान अनीता बनाम इब्राहिम मोहम्मद आदि

3. अपीलान्ट के बैयनामा दिनांक 10.01.2019 के आधार पर नामान्तरण हेतु बैयनामा की प्रति पटवारी हल्का को सौप दी एवं पटवारी हल्का द्वारा बतलाया गया कि ऑनलाईन का कार्य चल रहा है जैसे कि आनलाईन का कार्य पूर्ण हो जायेगा बैयनामा का नामान्तरण अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवा दिया जावेगा एवं अपीलान्ट ने समस्त दस्तावेज नामान्तरण हेतु राजस्व विभाग के कर्मचारियों का सौप दिये तथा वाद भूमि का कब्जा आजतक अपीलान्ट के पक्ष में चला आ रहा है।

4. तहसील ऑनलाईन के कार्य चलने के कारण बैयनामा का नामान्तरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज नही हुआ । एवं अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नही होने के कारण के रेस्पोडेन्टस सं. 2 द्वारा रोही मौजा चक देईदास पुरा तहसील नोहर के खाता सं. 121/61 की 0.139 हैक्टर भूमि यानि 11 बिस्वा कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 323.01.2023 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया है एवं जबकि उपरोक्त कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 10.01.2019 को अपीलान्ट के पक्ष में हो चुका था एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने रेस्पोडेन्ट स. 1 से साज–बाज करके बैयनामा करवा दिया एवं उपरोक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण सं. 1596 दिनांक 14.02.2023 स्वीकृत कर दिया गया।

5. वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से पूर्व दिनांक 10.01.2019 को खरीद की गई थी एवं अपीलान्ट द्वारा मुताबिक बैयनामा के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत करवाने हेतु बैयनामा पटवारी हल्का को बैयनामा की प्रति दी गई थी परन्तु उसी वाद भूमि का बैयनामा दिनांक 1422/2023 को आधार पर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अपीलान्ट के पक्ष में बैयनामा का ज्ञान था एवं बिना जॉच किये रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो कि अपास्तनीय है ।

6. अपीलाधीन नामान्तरण को पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था एवं अपीलान्ट को जमाबन्दी से रेस्पोडेन्ट सं. 2 का हाल जमाबन्दी में दर्ज होना पाया तो पटवारी हल्का से मिला तब उक्त नामान्तरण का पता चला [illegible] अगले दिन दिनांक को नामान्तरण की प्रति प्राप्त कर [illegible] कर रहा है तथा द्वितीय देरी में क्षमा कर[illegible] तथा उक्त भूमि का नामान्तरण विधि की अवहेलना में पारित किया गया है तथा [illegible] केस इस बिन्दु पर खारीज योग्य नही है चुंकि विधि द्वारा सुस्थापित है किसी शुन्य आदेश की चुनौति देने के लिए परिसीमा अवधि कतई आड़े नही आती है इसलिए प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सदभाविक मानते हुऐ क्षमा किया जाना न्यायोचित है फिर भी दफा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं. 1596 दिनांक 14.02.2023 रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर निरस्त फरमाया जावे एवं बैयनामा दिनांक 10.01.2019 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये जावे ।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–02 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी संख्या–02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक देईदासपुरा के खाता सं. 121/61 की 0.139 हैक्टर भूमि यानि 11 बिस्वा कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 23.01.2023 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया है। उक्त कृषि भूमि का प्रथम बैयनामा दिनांक 10.01.2019 को अपीलान्ट के पक्ष में करवाया गया था लेकिन तहसील ऑन लाईन होने के चलतें बैयनामा दिनांक 10.01.2019 के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं कियाा सका। एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने रेस्पोडेन्ट स. 1 से साज–बाज करके बैयनामा करवा दिया एवं उपरोक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण सं. 1596 दिनांक 14.02.2023 स्वीकृत कर दिया। लेकिन प्रथम बैयनामा दिनांक 10.01.2019 आदिनांक तक प्रभावी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1596 दिनांक 14.02.2023 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि रजिस्ट्रर्ड बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 1596 दिनांक 14.02.2023 तस्दीक किया गया है। जब तक बैयनामा वैध है तब तक नामान्तरण को खारिज किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरण में वर्णित भूमि पर [illegible] कब्जा नहीं है। अतः नामान्तरण संख्या 1596 दिनांक 14.02.2023 सही है [illegible] अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस [illegible] पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि चक देईदासपुरा के खाता संख्या 121/[illegible] की 0.139हैक्टेयर की प्रथम बैयनामा दिनांक 23.01.2023 एंव दिनांक 10.01.2019 को खाता संख्या 61/58 की 18. 1090 है0 भूमि में से 11 हिस्सा की भूमि का बैयनामा अनिता पत्नी कन्हैयालाल जाति सिन्धी निवासी नोहर के पक्ष में करवाया गया है। लेकिन नामान्तरण दिनांक 23.01.2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को इब्राहिम मोहम्मद पुत्र बसीरखां के पक्ष में निष्पादित बैयनामा के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया गया लेकिन इसी भूमि का पूर्व में दिनांक 10.01.2019 को बैयनामा निष्पादित हो चूका था।

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निष्पादित बैयनामा दिनांक 10.01.2019 के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया एंव दिनांक 23.01.2023 को निष्पादित द्वितिय बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 1596 दिनांक 14.02.2023 स्वीकृत किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2019 को निष्पादित प्रथम बैयनामा को नंजरदाज कर द्वितिय बैयनामा दिनांक 23.01.2023 के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर कानूनी भूल की है।

न्यायालय के मत में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या–1596 दिनांक 14.02.2023 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि खाता संख्या 121 / 61 चक देईदासपुरा तहसील नोहर की भूमि की जांच, पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:38 IST
Reason: SelfAttested